सं॰सं॰ : 15/एस–03(से॰वि॰)–01/2014/ 488 वि॰

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

राँची/दिनांक : 19.02.2016

संकल्प

विषय : **वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3445/वि०, दिनांक 26.09.2014, (पदस्थापन की प्रतीक्षा अथवा अन्य कारणों से उत्पन्न प्रभार रहित अवधि को अल्पतम करते हुए विभागों को और अधिक शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने के संबंध में) में संशोधन।**

वित्त विभागीय संकल्प संख्या 932/वि०, दिनांक 05.02.1986 द्वारा सरकारी सेवकों के 180 दिनों की प्रभार रहित अवधि को विनियमित करने की शक्ति प्रशासी विभाग को प्रत्यायोजित की गयी थी। 180 दिनों से अधिक की प्रभार रहित अवधि वित्त विभाग की सहमति से विनियमित होते थे।

2. वित्त विभागीय पत्र संख्या 40/वि०, दिनांक 07.01.2011 द्वारा अपरिहार्य कारणों से प्रभार रहित अवधि उत्पन्न होने पर की जाने वाली कारवाईयों से संबंधित विस्तृत निदेश दिये गये हैं, इसके बावजूद पदस्थापन में विलम्ब अथवा अन्य किसी न किसी कारणवश पदाधिकारियों/कर्मियों के अनिवार्य प्रतीक्षा में रहने के मामलों में कोई कमी आयी है, ऐसा आभास नहीं होता है।

3. पुनः वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3445/वि०, दिनांक 26.09.2014 के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा एवं अन्य कारणों से उत्पन्न प्रभार रहित अवधि को अल्पतम करने एवं उसके विनियमन हेतु विस्तृत निदेश दिये गए हैं। उक्त संकल्प के कंडिका–7 में यह व्यवस्था की गई है कि :–

कण्डिका 7(1) :– दो माह से अधिक का waiting for posting के प्रस्ताव की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें विकास आयुक्त, प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, वित्त विभाग एवं प्रशासी विभाग के सचिव सदस्य होंगे। प्रशासी विभाग प्रस्ताव गठित कर समिति के समक्ष लायेंगे।

कण्डिका 7(ii) :– समिति की अनुशंसा के बाद विभाग के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त किया जाएगा।

4. सभी पहलुओं पर पूर्ण विचारोपरांत वर्त्तमान प्रक्रिया को सरल करने तथा विभागों को और अधिक शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने के उद्देश्य से वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3445/वि॰ दिनांक 26.09.2014 की कंडिका–6 एवं 7 को विलोपित कर निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है :–

कुल प्रभार रहित अवधि	विनियमन हेतु सक्षम प्राधिकार	प्रस्ताव पर सहमति हेतु सक्षम स्तर	अभ्युक्ति
60 दिनों तक	विभागीय सचिव	आंतरिक वित्तीय सलाहकार	प्रस्ताव में सक्षम स्तर से सहमति प्राप्त होने के पश्चात, संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा।
60 दिन से अधिक 180 दिन तक	विभागीय सचिव	योजना–सह–वित्त विभाग	
180 दिन से अधिक 365 दिन तक	विभागीय मंत्री	योजना–सह–वित्त विभाग	
365 दिन से अधिक	वित्त मंत्री		

5. इस संबध में संकल्प संख्या 3445/वि॰ दिनांक 26.09.2014 के अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 320/वि॰ दिनांक 03.02.2016 के क्रम में दिनांक 11.02.2016 की बैठक के मद सं॰ 11 में दी गई है।

<u>आदेश</u> :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अमित खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 15/एस–03(से॰वि॰)–01/2014 488/वि॰ **राँची, दिनांक** 19.02.16

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमित खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 15/एस–03(से॰वि॰)–01/2014 488/वि॰ **राँची, दिनांक** 19.02.16

प्रतिलिपि : माननीया राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/जन सूचना कोषांग, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड/ प्रभारी, पी॰एम॰यू॰ कोषांग, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड को विभागीय Website पर Upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमित खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 15/एस–03(से०वि०)–01/2014 488/वि० राँची, दिनांक 19.02.16

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित की वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके राजपत्र की 50 प्रतियाँ योजना–सह–वित्त विभाग के प्रशाखा–15 को उपलब्ध करावें।

18.2.2016

(अमित खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।